LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 06 August 2018 / 15 Shraavan 1940 (*Saka*)

No. 86
02.04 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**
National Song (Vande Mataram)

1. 2.05 PM The Chair greeted the House on the occasion of Prakash Utsav of Sikh Guru Shri Har Kishan.

2. 2.06 PM Shri Om Prakash Sharma and Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition sought to know about the fate of notices of Calling Attention given by them under Rule-54.
The Chair stated that he will give his ruling after Question Hour. Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition stood up and argued with the Chair and created disturbances in the proceedings of the House.
The Chair requested Sh. Vijender Gupta to take his seat.
As Shri Vijender Gupta did not relent, the Chair named him and asked him to withdraw.
(2.12 PM) As the Member refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.

3. 2.13 PM **Question Hour :**
Starred Questions No. 01 to 06, 08, 10 to 13 were asked and replied to. Replies to Starred Questions No.07, 09, 14 to 20 and Un-Starred Questions No. 01 to 66 (Except Unstarred Question No. 5) were placed on the table.

4. 3.23 PM **Special Mention(Rule-280) :**
The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
    1. Sh. Pankaj Pushkar
    2. Sh. Shiv Charan Goel
    3. Sh. Gulab Singh
    4. Sh. Sukhbir Singh Dalal
    5. Sh. Om Prakash Sharma

Members of ruling party objected that Sh. Om Prakash Sharma, Member of BJP had used derogatory words against Shri Amanatullah Khan. .
They stood up and demanded that action be taken against Sh. Om Prakash Sharma.
Sh. Manish Sisoda, Hon'ble Deputy Chief Minister also objected to the remarks made by Sh. Om Prakash Sharma.
Members of the ruling party came into the well of the House.
Uproar in the House.
(3.42 PM) Sh. Om Prakash Sharma walked out from the House.

5. 3.50 PM **The Chair adjourned the House upto 4.30 PM due to continuous disturbance in the proceedings.**

6. 4.40 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

7. 4.40 PM Sh. Sanjeev Jha, Sh. Amanatullah Khan & Ms. Rakhi Birla expressed their views regarding objectionable remarks made by Sh. Om Prakash Sharma.
(4.48 PM) Sh. Om Prakash Sharma & Sh. Jagdish Pradhan walked out from the House.
The Chair referred the complaint against Shri Om Prakash Sharma to the Committee on Privileges.

8. 4.49 PM **Special Mention(Rule-280) continued :**
    6. Sh. Mohinder Goyal
    7. Smt. Bandana Kumari
    8. Ms. Bhavna Gaur
    9. Sh. Ajay Dutt
    10. Sh. Sanjeev Jha

The Chair ruled that the matter to be raised by Sh. Saurabh Bharadwaj under Rule-280 be treated as read.

9. 4.58 PM **Presentation of Report :**
Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker presented the Fourth Report of **Committee on Private Members Bills & Resolutions.**

10. 4.59 PM **Papers laid on the Table :**

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport laid copies of the following on the Table of the House :

I. Copy of the Delhi Gazette Notification No.23(1362)/CAP/TPT/2016-Part-I/307 dated 10 July 2018 regarding delegation of powers related to Pollution Checking centers (Hindi & English Version).

II. Copy of the Delhi Gazette Notification No.MLO(VIU)/TPT/2017/165/315 dated 17 July 2018 regarding Speed Governor (Hindi & English Version).

11. 5.00 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**

Sh. Saurabh Bharadwaj initiated short duration discussion on *'alleged attempts by the bureaucracy to hamper and slow down the main flagship programmes of the Govt. of NCT of Delhi'*.

The following Members participated in the Discussion :

1. Shri Pankaj Pushkar
2. Shri Madan Lal
3. Ms. Alka Lamba
4. Shri Adarsh Shastri
5. Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of PWD

*(**6:06 PM** : The Chair extended the sitting of the House upto 7:00 PM)*

6. Sh. Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport
7. Sh. Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour
8. Sh. Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & Supplies

12. 6.50 PM **Sh. Saurabh Bharadwaj moved the following Resolution with the leave of the House** :

"The Members of this Legislative Assembly of NCT of Delhi, having been rightly and repeatedly confronted in their interactions with general public, public spirited individuals and organisations regarding the deficiencies in providing public services in NCT of Delhi;

Upon learning that there are huge number of vacancies in various levels in all sectors of governance in NCT of Delhi – including in professional, technical and administrative positions such as teaching, non-teaching, medical, engineering, school/college/hospital administration, general administration etc. - which is one of the main reasons for such deficient delivery of services to the public,

Upon further realising that the unfilled vacancies are increasing in number year after year due to involvement of multiplicity of agencies in recruitment process and huge workload on and set priorities of recruiting agencies such as UPSC, leading to further deficiency in delivery of services resulting in lot of difficulties for the political executive in spite of its demonstrated will to improve the living standards of the people of Delhi by providing world class services in the national capital territory,

The Legislative Assembly of NCT of Delhi, having its sitting on 06 August, 2018 in Delhi, hereby resolves that:

There shall be a separate Public Service Commission for NCT of Delhi and

The Government of NCT of Delhi shall take all necessary steps to complete the process of creation of such a Commission within a period of six weeks from the date of adoption of this resolution so that the deficiency in providing services – be it in education, health, environment, transport or various other general sectors – becomes a thing of past and Delhi emerges as a role model for all those willing to compete in doing good for people."

Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution moved by Sh. Saurabh Bharadwaj put to vote and adopted by voice-vote.

13. 7.07 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 07 August 2018.**

Delhi **C. Velmurugan**
06th August, 2018 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
सोमवार, 06 अगस्त, 2018 / 15 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या–86

2.04 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

1. 2.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सिख गुरू श्री गुरू हरकिशन जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सदन को शुभकामनायें दी।

2. 2.06 बजे श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा नियम–54 के अंतर्गत दी गई ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के बारे में जानना चाहा।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे अपनी व्यवस्था प्रश्नकाल के बाद देंगे।
श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने आसन पर खड़े हो गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लगे और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने लगे।
अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता को अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा।
चूंकि श्री विजेन्द्र गुप्ता खड़े रहे, अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इंगित किया तथा सदन से बाहर जाने के लिए कहा।
2.12 बजे : चूंकि सदस्य ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

3. 2.13 बजे **प्रश्न कालः** तारांकित प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 10 से 13 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 07, 09, 14 से 20 तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 01 से 66 (05 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

4. 3.23 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280)** :
निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठायेः–

1. श्री पंकज पुष्कर
2. श्री शिवचरण गोयल
3. श्री गुलाब सिंह
4. श्री सुखबीर सिंह दलाल
5. श्री ओमप्रकाश शर्मा

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा ने श्री अमानातुल्ला खां के विरूद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है।
वे अपने आसनों पर खड़े हो गये तथा श्री ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही की मांग करने लगे।
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई।
सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये।
सदन में शोर–शराबा।
(3.42 बजे : श्री ओमप्रकाश शर्मा ने सदन से बहिर्गमन किया।)

5. 3.50 बजे **कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

6. 4.40 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

7. 4.40 बजे श्री संजीव झा, श्री अमानतुल्ला खां तथा सुश्री राखी बिडला ने श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।
(4.48 बजे : श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान ने सदन से बहिर्गमन किया।)
अध्यक्ष महोदय ने श्री ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध शिकायत को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

8. 4.49 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280)** जारी :

6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. सुश्री भावना गौड़
9. श्री अजय दत्त
10. श्री संजीव झा

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा नियम–280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले को पढ़ा हुआ माना जाये।

9. 4.58 बजे **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन** प्रस्तुत किया।

10. 4.59 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात:**

श्री कैलाष गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :

क) प्रदूषण जांच केन्द्रों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना सं.फा. 23(1362)/सीएपी/परि./2016– पार्ट–1/307 दिनांक 10 जुलाई, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

ख) स्पीड गर्वनर के संबंध में दिल्ली राजपत्र अधिसूचना सं.फा. एमएलओ (वीआईयू)/टीपीटी/2017/165 /315 दिनांक 17 जुलाई, 2018 (हिन्दी–अंग्रेजी प्रतियां)

11. 5.00 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**

श्री सौरभ भारद्वाज ने *"नौकरशाही द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को कथित रूप से बाधित करने तथा धीमा करने के प्रयास"* के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री पंकज पुष्कर
2. श्री मदन लाल
3. सुश्री अलका लाम्बा
4. श्री आदर्श शास्त्री
5. श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय लोक निर्माण मंत्री

[***6.06 बजे :*** *अध्यक्ष महोदय ने सदन की बैठक की अवधि 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाई*]

6. श्री कैलाश गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री
7. श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री
8. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

12. 6.50 बजे **श्री सौरभ भारद्वाज** ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्य, आम जनता, जन भावना वाले व्यक्तियों तथा संगठनों से अपने संवाद के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जन सेवायें उपलब्ध होने की कमियों के संबंध में सम्यक् रूप से लगातार जूझते रहे हैं,

यह जानने के बाद कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शासन के सभी क्षेत्रों, व्यवसायिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों जैसे–शिक्षण, गैर शिक्षण, मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्कूल/कॉलेज/अस्पताल प्रशासन, सामान्य प्रशासन इत्यादि में विभिन्न स्तरों पर अत्यधिक संख्या में रिक्तियां हैं, जो जनता को सेवायें उपलब्ध कराने में कमी के मुख्य कारणों में से एक है,

तदंतर यह अनुभव करने के बाद कि चयन प्रक्रिया में निकायों की बहुलता के शामिल होने तथा अत्यधिक कार्यभार और चयन एजेंसियों जैसे यू.पी.एस.सी की तय प्राथमिकताओं के कारण रिक्त पदों की संख्या साल–दर–साल बढ़ती जा रही है, जिससे सेवाओं को उपलब्ध कराने में और कमी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधायें प्रदान करके दिल्ली की जनता के जीवन स्तर को सुधारने की स्पष्ट इच्छाशक्ति के बावजूद राजनीतिक कार्यपालिका के लिए अत्यधिक कठिनाईयां हो रही है,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा, दिनांक 06 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प करती है कि:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये अलग लोक सेवा आयोग होगा, और

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस संकल्प के स्वीकार होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के दौरान ऐसे आयोग के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवहन या अन्य विभिन्न सामान्य क्षेत्रों में सेवाओं को उपलब्ध कराने में कमी अतीत की बात हो जाये और दिल्ली उन सबके लिए रोल मॉडल के रूप में उभरे, जो जनता के लिए अच्छा कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।"

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

13. 7.07 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 07 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
06 अगस्त, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव